



2026:AHC:61257

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3480/2026

जुम्मा

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद शाफी, शुजाउद्दीन

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुजाउद्दीन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मोहम्मद इरफान और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री बी०पी० मौर्य की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक जुम्मा की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें बिलासपुर पुलिस स्टेशन, जिला रामपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 319/2025 में धारा 333, 109(1), 352, 351(3) बी०एन०एस० और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है, फिर भी निजी अस्पताल में तैयार की गई चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट में उसकी किसान पत्नी की चोटों की गंभीरता का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक, जो 12.10.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है, घायल को दो चोटें आई हैं, एक पेट में और दूसरी गर्दन पर। आवेदक पर धारदार हथियार से हमले का आरोप लगाया गया है, हालांकि, निजी अस्पताल में तैयार की गई चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट में उसकी किसान पत्नी की चोटों की गंभीरता का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. आवेदक पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है, हालांकि निजी अस्पताल में तैयार की गई चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट में उसकी किसान पत्नी की चोटों की गंभीरता का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक 12.10.2025 से जेल में बंद है।

6. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपरोक्त मामले में आरोपी **जुम्मा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय को इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"